2024 का विधेयक सं.3

राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन) विधेयक, 2024

जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- 1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन) अधिनियम , 2024 है।

2) यह 1 अक्टूबर, 2023 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(क) विद्यमान खण्ड 80) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड 81) से पूर्व, निम्नलिखित नये खण्ड अन्त:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

" 80क) "ऑनलाइन गेम खेलना" से इंटरनेट या किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसमें ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी सम्मिलित है;

" 80ख) "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना" से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी सम्मिलित है, धन या धन के मूल्य, जिसमें आभासी डिजिटल आस्तियां भी सम्मिलित हैं, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसमें आभासी डिजिटल आस्तियां भी

सम्मिलित हैं, चाहे इसका परिणाम या प्रदर्शन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय हो या नहीं;";

(ख) विद्यमान खण्ड 102) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड 103) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" 102क) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावा" से-

(i) दांव;

(ii) कैसीनो;

(iii) जूआ;

(iv) घुड़दौड़;

(v) लाटरी; या

(vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना;

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है;";

(ग) विद्यमान खण्ड 105) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न ";" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड 105) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परंतु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के प्रदाय की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो ऐसे प्रदाय के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, उसे ऐसे अनुयोज्य दावों का प्रदायकर्ता समझा जायेगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे उसके द्वारा या उसके माध्यम से प्रदाय किये जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों के प्रदाय के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अन्तर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां

भी सम्मिलित हैं, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या अंतरित किये जाते हैं या किसी भी रीति से उसको दिये जाते हैं, और इस अधिनियम के समस्त उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे प्रदायकर्ता को लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों का प्रदाय करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी प्रदायकर्ता हो;"; और

(घ) विद्यमान खण्ड 117) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड 118) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" 117क) "आभासी डिजिटल आस्ति" का वही अर्थ होगा, जो उसे आय-कर अधिनियम, 1961 1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) की धारा 2 के खण्ड 47क) में समनुदेशित किया गया है;"।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 24 में,-

क) खण्ड xi) के अंग्रेजी पाठ के अंत में आये विद्यमान शब्द "and" को हटाया जायेगा; और

ख) खण्ड xi) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड xii) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(xiक) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने का प्रदाय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और"।

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की अनुसूची 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के, पैरा 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "लाटरी, दांव और जुआं" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. संक्रमणकालीन उपबंध.- इस अधिनियम के अधीन किये गये संशोधन दांव, कैसीनो, जूआ खेलने, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने के लिए उपबंध

करने वाली तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

6. निरसन और व्यावृतियां.- (1) राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन) अध्या देश, 2023 2023 का अध्यादेश सं. 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

———————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने की दृष्टि से राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अधिनियमित किया गया था।

माल और सेवा कर परिषद् जीएसटी परिषद्) ने अपनी 50वीं और 51वीं बैठक में कैसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेम खेलने की कराधेयता संबंधी मुद्दों पर विभिन्न संगमों के अभ्यावेदन पर विचार किया था और कैसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेम खेलने की कराधेयता के संबंध में स्पष्ट उपबंध करने के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में कतिपय संशोधन किये जाने की सिफारिश की थी। परिणामत: केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय माल और सेवा कर संशोधन) अधिनियम, 2023 2023 का केन्द्री य अधिनियम सं. 30) अधिनियमित किया था, जो अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है-

i) "ऑनलाइन गेम खेलना", "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना", "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावा" और "आभासी डिजिटल आस्ति" अभिव्यक्तियों को परिभाषित करना;

ii) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों" के प्रदाय की दशा में, "प्रदायकर्ता" से संबंधित स्पष्टता का उपबंध करने के लिए, "प्रदायकर्ता" की परिभाषा में एक परंतुक जोड़ना;

iii) कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेम खेलने में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावों की कराधेयता के संबंध में स्पष्टता का उपबंध करने के लिए अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 6 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "लाटरी,

दांव और जुआं" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों" को प्रतिस्थापित करना; और

(iv) अधिनियम की धारा 24 में, भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने का प्रदाय करने हेतु ऐसे व्यक्ति के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने के लिए एक नया खण्ड अंत:स्थापित करना।

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में एकरूपता लाने के उद्देश्य से राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में सुसंगत संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के साथ एकरूपता लाने के उद्देश्य से धारा 24 संशोधित की गयी है।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए, उन्होंने 29 नवम्बर, 2023 को राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का अध्यादेश सं. 1) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 1 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को उपांतरण के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

भजन लाल शर्मा,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 1) और 3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

प्रतिलिपि: संख्या प. 2 4) विधि/2/2024 जयपुर, दिनांक 21 जनवरी, 2024
प्रेषक: भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 1) और 3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन) विधेयक, 2024 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन) विधेयक, 2024 में राजस्थान की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है।

भजन लाल शर्मा,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 2017 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

1) से (104) XX XX XX XX XX

105) किसी माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में "प्रदायकर्ता" से उक्त माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत होगा और इसमें प्रदाय किये गये माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे प्रदायकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता सम्मिलित होगा;

106) से 120) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

24. कतिपय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण.- धारा 22 की उप-धारा 1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा,-

i) से x) XX XX XX XX XX

xi) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या सुधार सेवाओं का भारत में किसी व्यक्ति को प्रदाय करता है;

xii) XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX XX

अनुसूची 3

[धारा 7 देखें]

ऐसे क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल का प्रदाय और न ही सेवाओं का प्रदाय माना जायेगा

1. से 5. XX XX XX XX XX XX

6. लाटरी, दांव और जुआं से भिन्न अनुयोज्य दावे।

7. से 8. XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX XX

Bill No. 3 of 2024

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2024

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 1st October, 2023.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act,-

(a) after the existing clause (80) and before the existing clause (81), the following new clauses shall be inserted, namely:-

"(80A) "online gaming" means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;

(80B) "online money gaming" means online gaming in which players pay or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is

permissible or otherwise under any other law for the time being in force;";

(b) after the existing clause (102) and before the existing clause (103), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(102A) "specified actionable claim" means the actionable claim involved in or by way of-

(i) betting;

(ii) casinos;

(iii) gambling;

(iv) horse racing;

(v) lottery; or

(vi) online money gaming;";

(c) in clause (105), for the existing punctuation mark ";" appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after clause (105) so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that a person who organises or arranges, directly or indirectly, supply of specified actionable claims, including a person who owns, operates or manages digital or electronic platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied by him or through him and whether consideration in money or money's worth, including virtual digital assets, for supply of such actionable claims is paid or conveyed to him or through him or placed at his disposal in any manner, and all the provisions of this Act shall apply to such supplier of specified actionable claims, as if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supply of such actionable claims;"; and

(d) after the existing clause (117) and before the existing clause (118), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(117A) "virtual digital asset" shall have the same meaning as assigned to it in clause (47A) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (Central Act No. 43 of 1961);".

3. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 24 of the principal Act,-

(a) in English version of clause (xi), the existing word "and" appearing at the end, shall be deleted; and

(b) after clause (xi) and before the existing clause (xii), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(xia) every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India; and".

4. Amendment of Schedule III, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In Schedule III of the principal Act, in paragraph 6, for the existing expression "lottery, betting and gambling", the expression "specified actionable claims" shall be substituted.

5. Transitory provision.- The amendments made under this Act shall be without prejudice to provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restricting or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

6. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023 (Ordinance No. 1 of 2023) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State Government.

The Goods and Services Tax Council (GST Council) in its 50th and 51st meetings considered representation from various associations on the issues regarding taxability of Casinos, Horse Racing and Online Gaming and recommended to make certain amendments in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 to provide clarity regarding taxability of Casinos, Horse Racing and Online Gaming. Consequent upon, the Central Government enacted the Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023 (Central Act No. 30 of 2023) which inter alia, provides to-

(i) define the expressions "online gaming", "online money gaming", "specified actionable claim" and "virtual digital asset";

(ii) add a proviso in the definition of "supplier" to provide clarity regarding "supplier" in case of supply of "specified actionable claim";

(iii) substitute the expression "specified actionable claim" in paragraph 6 of Schedule III of the Act, for the existing expression "lottery, betting and gambling", so as to provide clarity regarding taxability of actionable claims involved in or by way of casinos, horse racing and online gaming; and

(iv) insert a new clause in section 24 of the Act, to provide for mandatory registration of the person for supplying online money gaming, from a place outside India to a person in India.

In order to bring uniformity in the provisions of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, it has been decided to make relevant amendments in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017. Further, in order to bring uniformity with the Central Goods and Services Tax Act, 2017 section 24 has been modified.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and the circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023 (Ordinance No. 1 of 2023) on 29th November, 2023, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV(B) Extraordinary, dated 1st December, 2023.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance with modification.

Hence the Bill.

भजन लाल शर्मा,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 1) और 3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

प्रतिलिपि: संख्या प. 2 4) विधि/2/2024 जयपुर, दिनांक 21 जनवरी, 2024
प्रेषक: भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 1) और 3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन) विधेयक, 2024 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of Rajasthan.

भजन लाल शर्मा,
Minister Incharge.

EXTRACTS FROM THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

(Act No. 9 of 2017)

XX XX XX XX XX XX

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(1) to (104) xx xx xx xx

(105) "supplier" in relation to any goods or services or both, shall mean the person supplying the said goods or services or both and shall include an agent acting as such on behalf of such supplier in relation to the goods or services or both supplied;

(106) to (120) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

24. Compulsory registration in certain cases.- Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 22, the following categories of persons shall be required to be registered under this Act,-

(i) to (x) xx xx xx xx xx

(xi) every person supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person; and

(xii) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

SCHEDULE III
[See section 7]

ACTIVITIES OR TRANSACTIONS WHICH SHALL BE TREATED NEITHER AS A SUPPLY OF GOODS NOR A SUPPLY OF SERVICES

XX XX XX XX XX XX

1. to 5. xx xx xx xx xx

6. Actionable claims, other than lottery, betting and gambling.

7. to 8. xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

Bill No. 3 of 2024

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2024

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Principal Secretary.

(Bhajan Lal Sharma, **Minister-Incharge**)

2024 का विधेयक सं. 3

राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन) विधेयक, 2024

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(भजन लाल शर्मा, **प्रभारी मंत्री)**